



बाह्य परिपत्र सं.139 /डॉस-27/2020
सं. राबैं. डॉस. पॉलिसी/ 529 /पॉलिसी /जे-1/2020-21

22 मई 2020

अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय बैंक

प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

प्रिय महोदय/ महोदया

नाबाई टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में एनपीए वर्गीकरण में भिन्नता - शुद्धिपत्र
कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 फरवरी 2020 के हमारे परिपत्र सं. राबैं. डॉस.
पॉलिसी / 3437 / पॉलिसी / जे-1 / 2020-21 (बाह्य परिपत्रसं.47 / डॉस-11 / 2019-
20 का अवलोकन करें।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 27 फरवरी 2020 के हमारे उक्त परिपत्र के पैरा (1) और (3) में उल्लिखित "परिशिष्ट IV को बदलकर "परिशिष्ट IIIए" कर दिया जाए। परिपत्र की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित है।

3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना अपने राज्य /संघ शासित प्रदेश में हमारे संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

एल.एम.त्यागराजन

(एल.एम.त्यागराजन)

सहायक महा प्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पर्यवेक्षण विभाग

प्लॉट नं. C-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 2653 1834 • फ़ैक्स: +91 22 2653 0103 • ईमेल: dos@nabard.org

Department of Supervision

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 2653 1834 • Fax: +91 22 2653 0103 • E-mail: dos@nabard.org